अपील सूचना अधिकार संख्या 30/2019 (RCMS 2019/00090) श्री गोविन्द करण राठौड पुत्र धनकरण उग्र 61 वर्ष जाति राजपूत निवासी 79 हनुवन्त–बी, बी.जे.एस. नगर, जोधपुर (मोबाईल नं. 98293–10313) बनाम अपर जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर व जिला कलक्टर, बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.09.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोविन्द करण राठौड स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रांवली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने जिला कलक्टर, बीकानेर के समक्ष दिनांक 29.10.2018 को एक प्रार्थना पत्र पेश करके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही थी, उन्होनें अपने आदेश दिनांक 13.02.2019 से अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी थी। तत्पश्चात अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है कि वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने जिला कलक्टर, बीकानेर के समक्ष दिनांक 29.10.2018 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

> रोजडी जागीर–रिज्यूम के समय रोजड़ी–जागीर की सम्पूर्ण पत्रावलिया प्रदान करें :
> ए. सम्पत्ति सूची
> बी. मुआवजा पत्रावली
> सी. पर्सनल प्रोपर्टी की सूची मय Verification
> डी. जागीर की भूमि की सूची

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में प्रभारी अधिकारी,जिला अभिलेखागार, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सीजी/अभिलेख/19/79 दिनांक 24.04.19 से अपीलार्थी को दिये गये जवाब की प्रति संलग्न की है, जिसके अनुसार प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार, श्रीगांगनगर ने अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रश्न	प्रत्युतर
1.सम्पत्ति सूचना 2.मुआवजा पत्रावली 3.पर्सनल प्रोपर्टी की सूचना मय वैरीफिकेशन 4.जागीर की भूमि की सूचना	प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 की सूचना कार्यालय रिकॉर्डानुसार जमा होना नहीं पाया जाता है। आप द्वारा कार्यालय (भू.अ.), घड़साना का पत्रांक भू.अ./2016/3345 दिनांक 27.07.16 का अवलोकन करें जो कि आपने साथ सम्मिलित किया है। जिसमें तहसीलदार, घड़साना द्वारा उक्त रिकॉर्ड जिला अभिलेखागार, बीकानेर से प्राप्त करने हेतु दर्शाया है।

-sd-
प्रभारी अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी
जिला अभिलेखागार,कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

तहसीलदार (भू.अ.), घड़साना ने अपने पत्रांक भू.अ/2016/3345 दिनांक 27.07.2016 से अपीलार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना का जवाब निम्नानुसार दिया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाह गया रिकॉर्ड चक 13 आर.जे.डी. के मु.न. 78/38 व 78/40 के कुल 23 बीघा 10 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 23.03.93 व सुगनकंवर पत्नि धनेसिंह का शिवदयाल सिंह पुत्र उदय सिंह के नाम जिन दस्तावेजों के आधार पर दर्जकिया गया उनकी फोटो कॉपी (प्रमाणित प्रतिलिपि) संलग्न है।

2. आप द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 16.12.57 की नकल चाही गई है जो आप जिला कार्यालय श्रीगंगानगर से प्राप्त करें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. प्रथम सेटलमेन्ट से पूर्व गांव रोजड़ी का जागीरदार कौन था जागरी रोजड़ी रिज्यूम कब किसके की गई जागीरदार की सम्पत्ति की सूचना प्रदान करें।

बिन्दु सं. 3 की सूचना जिला अभिलेखागार बीकानेर से प्राप्त करें। उक्त रिकॉर्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

4. वक्त प्रथम सेटलमेन्ट के बाद जागीरदार रोजड़ी अखेसिंह के नाम कितनी भूमि थी व आज कितनी भूमि है।

बिन्दु सं. 4 की सूचना जिला अभिलेखागर, बीकानेर से प्राप्त करें व **वर्तमन राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अखेसिंह के नाम कोई भूमि नहीं है।**

5. वक्त जागीर रिज्यूम के समय पुगल, सत्तासर व रोजड़ी के जागीरदार कौन थे, जागीर रोजड़ी के मुआवजे की सम्पूर्ण पत्रावली प्रदान करें।

बिन्दु संख्या 5 की सूचना जिला अभिलेखागार से प्राप्त करें।

-sd-
तहसीलदार (भू.अ.)
तह.घड़साना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।**

चूंकि वांछित सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेख लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यता है। इसलिए इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः **अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है।** आदेश की प्रति जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर एवं तहसीलदार, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर